

संख्या एन-4101 5/1/2019-बीसी-III

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
ए विंग, शास्त्री भवन ,
नई दिल्ली-110001

25 फरवरी, 2020

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

अतीत में विभिन्न अवसरों पर, इस मंत्रालय ने प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों का कड़ाई से अनुपालन कर सामग्री प्रसारित करने के लिए एडवाइजरी जारी की है।

2. यह दोहराया गया है कि सभी टीवी चैनलों को किसी भी सामग्री के संबंध में विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है जिससे/जिसमें:-

(i) हिंसा को प्रोत्साहित करने या भड़काने की संभावना है या इसमें कानून और व्यवस्था के रखरखाव के खिलाफ कुछ भी शामिल है या जो राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है

(ii) इसमें धर्मों या समुदायों पर हमला या धार्मिक समूहों के प्रति अपमानजनक दृश्य या शब्द शामिल हैं या जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं:

(iii) मानहानिकारक, जानबूझकर, गलत और विचारोत्तेजक आक्षेप और अर्धसत्य कुछ भी शामिल हैं

3. कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी ऐसी सामग्री प्रसारित न की जाए जो उपर्युक्त कार्यक्रम संहिताओं का उल्लंघन करती हो।

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(अमित कटोच)
निदेशक (बीसी)
दूरभाष: 23386394

प्रतिलिपि:

- (1) श्री रजत शर्मा, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), मैनटेक हाउस, तीसरी मंजिल, सी-56/5, सेक्टर 62, नोएडा-201307
- (2) श्री एनपी सिंह, अध्यक्ष, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) बी-304, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049
- (3) सभी डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटर/एमएसओ/केबल ऑपरेटर